

वादी
मदनलाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण
निवासी जसनगर तहसील रियांबडी

बनाम

प्रतिवादीगण:-

- 1-तहसीलदार रियांबडी
- 2-पटवारी हलका जसनगर

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955. मुकहमान राजस्व वाद संख्या:-106/2017 यह मुकहमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वादी...मिनजानिब मुहई व प्रतिवादी गण मिनजानिम मुहयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्की दी जाती है कि :-
"वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन सरकारी भूमि होने से वादी का वाद खारीज किया जाता है।"

.....लीत.....मुबलिक.....बाबात.....खर्चा इस मुकहमें मय सूद व शहर.....फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक.....का अदा करें।

नोट:-उपरोक्त खसरान में से अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।
बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख :- 08.06.2018

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी (बड़ोरे)

राजस्व लोक अदालत
कैम्प जसनगर

मुहई	रूपया	पैसे	मुहायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मीजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		



(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी (बड़ोरे)
राजस्व लोक अदालत
कैम्प-जसनगर